न्यायालय उपखण्डाधिकारी बयाना 19/7/20

मु० नं० दावा धारा File No. ~~[illegible]~~ 281/21 (आदेश)

191/2020 88,89,188 RT Act 20/11/20 डिग्री 01/7/21

#2020/00440

विनोद कुमार

पुत्र वासुदेव कोली

Name

Address

Subject

From **To**

बनाम लक्ष्मण प्रसाद शर्मा 1103— नरेन्द्र किशोर सिंघल

Record File

No. 3500

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:36 IST
Reason: SelfAttested

Pooja®
OFFICE

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
01/02/21	तुकुलाय उपस्थित। वादी द्वारा दावा डिक्लरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा Act के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आरा० ख०नं० पुराना 201 किता रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कस्बा बयाना तहसील बयाना में स्थित है जिसका खातेदार काश्तकार मुरारीलाल पुत्र रेवती प्रसाद जाति वैश्य दमदमा तहसील बयाना था जिससे वादी व मूल प्रतिवादीगण ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर लिया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर तत्तसमय वादी व मूल प्रतिवादीगण के हक में ब०हि० बराबर का नामा० 1428 दर्ज होकर तस्दीक हो गया जिसका राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी 2033 में अमल हो गया। वादी व मूल प्रतिवादीगण आज तक बदस्तूर व हिस्सा बराबर काबिज चले आ रहे हैं। पुराना ख०नं० 201 किता रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा के वर्तमान सेटलमेन्ट के दौरान ख०नं० 422 रकबा 0.58 बनाया गया है। दिनांक 12/11/2020 को मूल प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी में आकर वादीगण को धमकी दी कि हमने पटवारी गोपाल से मिलकर तुम्हारा नाम हटवा दिया है पूरा रकबा हमारे नाम है, हम शीघ्र ही नगद बल पर किसी पैसे वाले व्यक्ति को विक्रय कर देंगे। अन्त में वाद-वादी डिक्री किए जाने का निवेदन किया है। दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण ने दिनांक 19/01/2021 को इकबाल दावा पेश कर दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। हमारे विद्वान अभिभाषक ... अभिभाषक प्रतिवादी ने ... डिक्री किए जाने में सहमती है। विद्वान अभिभाषकगण को सुनने उपरान्त	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:36 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख नामान्तरण संख्या 1428, जमा० 2033, 2037-2040, 2042-44, 2051-2070 का गहनता से अध्ययन किया। जमाबन्दी सम्वत 2033 में वादी खातेदार के रूप में दर्ज अभिलेख है परन्तु जमा० सम्वत 2037-2040 में वादी का नाम दर्ज अभिलेख नहीं है। इस प्रकार आज तक वादी का नाम विवादित आराजी बाबत दर्ज रिकार्ड खातेदार होना नहीं पाया गया। अभी प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में इकबाल दावा पेश कर वाद वादी डिग्री किए जाने की अपनी सहमति पेश की है। अतः वादी डिग्री योग्य है। **आदेश** अतः वाद वादी डिग्री किया जाता है। वादी को आराजी ख०नं० 422 रकबा 0.58 हैक्टेयर कस्बा बयाना में मूल प्रतिवादीगण के साथ व.हि. बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, अर्थात ख०नं० 422 रकबा 0.58 है० कस्बा बयाना में प्रतिवादीगण के नाम हो रहे न्यायपूर्ण इन्द्राज की कलम जन कर बहिस्सा बराबर के वादी व मूल प्रतिवादीगण को खातेदार, काश्तकार दर्ज हो। मूल प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के 1/4 भाग के उपयोग-उपभोग में विवादित आराजी में मदाखलत, मजाहमत नहीं करें। डिग्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 01/02/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:36 IST
Reason: SelfAttested